STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (c) No specific complaint has been received in the Ministry regarding short delivery in Public Distribution Shops. The operational control on Public Distribution shops and implementation of Weights and Measures laws are the responsibilities of the State Governments. State Government officials undertake visits and surprise checks of fair price shops to curb cheating, short delivery and other unfair trade practices.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं का वितरण

689. **श्री शिवचरण सिंह:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) इन वस्तुओं का राज्य-वार आबंटन कितना-कितना है;

(ग) विभिन्न राज्यों में इन वस्तुओं की दरों में अंतर होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन वस्तुओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए, गेहूं, चावल, लेवी चीनी, मिट्टी के तेल, आयातित खाद्य तेल तथा सॉफ्ट कोक का वितरण किया जाता है। वर्ष 1992 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का राज्यवार आबंटन दर्शाने वाला एक विवरण **अनुपत्र में** दिया गया है। [**देखिए** परिशिष्ट 166, अनुपत्र संख्या 14]

केन्द्र सरकार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित) पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं आबंटित करती है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली वस्तुओं के अंतिम खुदरा मूल्य, स्थानीय परिवहन, स्थानीय लेवी, भण्डारण, ब्याज-प्रभारों, थोक विक्रेताओं के मार्जिन, रख-रखाव प्रभारों तथा खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन को हिसाब में लेने के बाद नियत करते हैं। चूंकि इनमें कुछ घटक अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं, अतः इनके अंतिम खुदरा मूल्यों में भी अंतर होता है।

जहां, राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार का है, वहीं उचित दर दुकानों के तंत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक वितरण की व्यवस्था, राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है। हालांकि इतने विशाल पैमाने के काम में यत्र-तत्र कुछ कमियों की संभावना से पूर्णतः इन्कार नहीं किया जा सकता तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने का कार्य एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। अनुचित व्यापार पद्धतियों को नियंत्रित करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को खुले बाजार में भेजे जाने से रोकने के लिए, राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण पर निगरानी रखने के लिए, स्वैच्छिक संगठनों, महिलाओं और स्थानीय उपभोक्ताओं को शामिल करके उचित दर दुकानों के स्तर पर निगरानी समितियां गठित करें

Amendment to Consumer Protection Act

690. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum from the New Delhi Citizen's Association (Regd.) demanding enactment of suitable measures to safeguard the consumer interest against misrepresentation of ingredients of end-product by manufacturers; and

(b) if so, the steps Government propose to take either to amend the present Consumer Protection Act, 1986 or to enact a new measure in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

691. *[Transferred to 5th March, 1993]*

Supply of essential commodities to Gujarat under PDS

692. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) what is the monthly quota fixed for various essential commodities distributed through P.D.S. for the State of Gujarat, Commodity-wise;

(b) what is the actual release of quota to the State Government, month-wise and item-wise during the last 6 months;

(c) whether it is a fact that there is a short fall in quota for Gujarat, if so, what are the reasons therefor; and

(d) what action is being taken by Government to meet the recent requirement of the State Government

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (d) A statement showing the monthly allocation and lifting of various essential commodities distributed through the PDS in respect of Gujarat during July, 1992 to December, 1992 is given in the Annexure. [*See* Appendix CLXVI, Annexure No. 15]

Allocation of PDS comodities to all State/UTs including Gujarat are made after taking into account overall availability of stocks in the Central Pool, inter-se requirements of States/UTs, seasonal factors etc. Allocations of PDS commodities are supplemental in nature and are not meant to meet the total requirements of any State/UT.

आदिवासी परिवारों को खाद्यान्नों की आपूर्ति

693. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रत्येक आदिवासी परिवार को कम से कम 20 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग) लगभग 1700 ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सम्पुष्ट करने के बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श के दौरान राज्य सरकारों ने सुझाव दिया कि सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में प्रति परिवार प्रति महीना 20 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रावधान करना वांछनीय होगा। समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के तहत आने वाले सभी ब्लाक, असम के कार्बी एंगलांग/उत्तर कछार जिले तथा आदिवासी बहुल राज्य सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आते हैं। किसी राज्य के भीतर ब्लाकों को खाद्यान्नों का पारस्परिक आबंटन करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की मात्रा से संबंधित मामलों का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में अधिक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने राज्यों द्वारा सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले क्षेत्रों को आबंटन के लिए प्रतिवर्ष खाद्यान्नों की अतिरिक्त 20 लाख मी॰ टन मात्रा नियत की है। यह आबंटन, राज्य सरकारों द्वारा सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ब्लाकों को पहले से किए जा रहे आबंटनों के अतिरिक्त है।